अनुदान संख्या 55 - गृह मंत्रालय का अन्य व्यय
GRANT No. 55 - OTHER EXPENDITURE OF THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
प्रभारित -	*Charged-*			*3,00*	*16*	*2,84*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*शून्य Nil*
स्वीकृत -	Voted-					
मूल	Original	1640,84,00				
				1640,91,00	1564,99,33	-75,91,67
पूरक	Supplementary	7,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					116,29,00
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत -	Voted-					
मूल	Original	103,99,00				
				104,00,00	66,00,58	-37,99,42
पूरक	Supplementary	1,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *₹2.00 लाख* का *विनियोग* मुख्य शीर्ष "2235" - "सामाजिक सुरक्षा और कल्याण" के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, अभ्यर्पित राशि (₹11629 .00 लाख) ₹7591.67 लाख की कुल बचतों से अधिक हो गई।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of *₹2.00 lakhs* remained wholly unutilised in one case under Major Head "2235" - "Social Security and Welfare".

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the amount surrendered (₹11629.00 lakhs) exceeded the overall savings of ₹7591.67 lakhs.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत - Saving -
मुख्य शीर्ष "2070" अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Major Head "2070" Other Administrative Services					
मू.	O.	2300.00				
पू.	S.	1.00		3500.00	2960.50	-539.50
पु.	R.	1199.00				
मुख्य शीर्ष "2235" सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Major Head "2235" Social Security and Welfare					
मू.	O.	76023.00				
				75718.00	84471.62	+8753.62
पु.	R.	-305.00				
मुख्य शीर्ष "2245" प्राकृतिक आपदा के कारण राहत	Major Head "2245" Relief on account of Natural Calamities					
मू.	O.	55946.00				
पू.	S.	2.00		42036.00	39151.43	-2884.57
पु.	R.	-13912.00				
मुख्य शीर्ष "3053" नागर विमानन	Major Head "3053" Civil Aviation					
मू.	O.	4000.00				
पू.	S.	1.00		6000.00	5917.65	-82.35
पु.	R.	1999.00				
मुख्य शीर्ष "3475" अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Major Head "3475" Other General Economic Services					
मू.	S.	1.00				
				133.00	131.78	-1.22
पु.	R.	132.00				
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments					
मू.	O.	24271.00				
				23382.00	22266.57	-1115.43
पु.	R.	-889.00				

(I) ₹1148.50 लाख का प्रावधान ग्यारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा ; इनमें से ₹1000.00 लाख बीआरयू शरणार्थियों के त्रिपुरा से वापस अपने मिजोरम न लौटने के कारण अकेले मुख्य शीर्ष "3601" - "योजनेतर अनुदान - पुनर्वास - अन्य पुनर्वास स्कीमें - मिजोरम" के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए।

(II) मुख्य शीर्ष "2235" - "अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम - अन्य कार्यक्रम - स्वतंत्रता सेनानियों को नि:शुल्क रेलवे पास" के अंतर्गत ₹1932.93 लाख की बचत (₹3500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा की गई यात्राओं के लिए रेलवे से कम दावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2245" - "सामान्य - प्राकृतिक आपदाओं का प्रबंधन, आपदा प्रवण क्षेत्रों में आकस्मिकता योजनाएं" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण" - ₹23760.33 लाख की बचत (मार्च, 2012 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹34822.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजना प्रबंधन इकाई में रिक्त पदों के न भरे जाने, कुछ योजना स्कीमों को अंतिम रूप न दिए जाने और "वीडियो बाल" को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(खा) "राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान" - ₹173.00 लाख की बचत (₹1400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा कम संख्या में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "3601" - "योजनेतर अनुदान - अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम - अन्य कार्यक्रम - गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों को अतिरिक्त राहत और उनका पुनर्वास" के अंतर्गत ₹6428.00 लाख की बचत (₹7500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दंगा पीड़ितों को अनुग्रही सहायता के भुगतान के लिए गुजरात सरकार से दावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(I) Provision of ₹1148.50 lakhs remained wholly unutilised under eleven heads; of these ₹1000.00 lakhs alone accounted for under Major Head "3601" - "Non-Plan Grants - Rehabilitation - Other Rehabilitation Schemes - Mizoram" - due to non-repatriation of BRU refugees from Tripura to Mizoram.

(II) Under Major Head "2235" – "Other Social Security and Welfare Programmes – Other Programmes –Free Railway Passes to Freedom Fighters" - saving of ₹1932.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3500.00 lakhs) was due to receipt of less claims from Railways for journeys undertaken by the Freedom Fighters.

(III) Under Major Head "2245" - "General - Management of Natural Disasters, Contingency Plans in Disaster Prone Areas" – savings occurred under the following heads:-

(A) "National Disaster Management Authority"- saving of ₹23760.33 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹34822.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in March, 2012) was due to non-filling up of vacant posts in Project Management Unit, non-finalization of some plan schemes and non-finalisation of procurement of "video wall".

(B) "National Institute of Disaster Management"- saving of ₹173.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1400.00 lakhs) was due to less number of training programmes conducted by Administrative Training Institutes.

(IV) Under Major Head "3601" – "Non-Plan Grants – Other Social Security and Welfare Programme - Other Programme - Additional Relief & rehabilitation to the victims of communal riot of 2002 in Gujarat"- saving of ₹6428.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7500.00 lakhs) was due to non-receipt of claims from Government of Gujarat towards payment of ex-gratia assistance to the riot victims .

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹4292.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत नवम्बर, 2011 और मार्च, 2012 में ₹5.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया था:-

3.(I) The above savings were partly (₹4292.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹5.00 lakhs in November, 2011 and March, 2012 under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2070" - "अन्य व्यय - नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम" - ₹1199.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹ 696.03 लाख था।

(A) Major Head "2070" – "Other Expenditure - Civic Action Programme" – ₹1199.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹696.03 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "2245" - "सामान्य - प्राकृतिक आपदाओं का प्रबंधन, आपदा प्रवण क्षेत्रों में आकस्मिकता योजनाएं - आपदा जोखिम प्रबंधन परियोजना के लिए यूएनडीपी की ओर से निर्मुक्ति/स्वीकृति" - ₹962.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹999.00 लाख था।

(B) Major Head "2245" –"General - Management of Natural Disasters, Contingency plans in Disaster Prone Areas - Release/Sanction from UNDP for Disaster Risk Management Project"- ₹962.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹999.00 lakhs.

(गा) मुख्य शीर्ष "3053" - "हवाई सेवाएं - पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए स्कीम - पूर्वोत्तर क्षेत्र में हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए अदायगी" - ₹1999.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1916.65 लाख था।

(C) Major Head "3053" – "Air Services – Scheme for North Eastern Region - Payment for Helicopter Services in North Eastern Region" - ₹1999.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1916.65 lakhs.

(घा) मुख्य शीर्ष "3475" - "अन्य व्यय - जम्मू और कश्मीर राज्य में आदाताओं के लिए ऋण राहत स्कीमें" - ₹132.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹130.78 लाख था।

(D) Major Head "3475" – "Other Expenditure - Debt Relief Schemes for the Borrowers in the State of J & K" - ₹132.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹130.78 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2235" - "सामाजिक कल्याण - स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन स्कीमें - केन्द्रीय सरकार पेंशन" - ₹10403.25 लाख का अधिक व्यय (₹71700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय द्वारा पेंशन के वितरण के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(A) Major Head "2235" - "Social Welfare - Swatantrata Sainik Samman Pension Schemes - Central Government Pension" - excess of ₹10403.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹71700.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards disbursement of pension by the Central Pension Accounting Office.

(खा) मुख्य शीर्ष "2245" - "सामान्य - प्राकृतिक आपदाओं का प्रबंधन, आपदा प्रवण क्षेत्रों में आकस्मिकता योजनाएं - राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल" - ₹6186.63 लाख का अधिक व्यय (₹18156.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बल के वेतनमानों का उन्नयन होने की वजह से चिकित्सा तथा अन्य दावों को निपटाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(B) Major Head "2245" - "General - Management of Natural Disasters, Contingency Plans in Disaster Prone Areas - National Disaster Response Force" - excess of ₹6186.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹18156.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards clearance of medical and other claims owing to upgradation of pay scales of the force.

(गा) मुख्य शीर्ष "3601" - "योजनेतर अनुदान" -

(क) "पुनर्वास - अन्य पुनर्वास स्कीमें" -

(i) "त्रिपुरा" - ₹ 1435.00 लाख का अधिक व्यय (₹ 2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) त्रिपुरा में क्षमता निर्माण और जनजातीय विकास के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ii) "जम्मू और कश्मीर राहत और पुनर्वास" - ₹3004.57 लाख का अधिक व्यय (₹8155.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकार से प्राप्त लंबित दावों को निपटाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ख) "पुनर्वास - पूर्व पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित लोग - पुनर्वास अनुदान" - ₹1094.00 लाख का अधिक व्यय (₹506.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पश्चिम बंगाल में विस्थापित लोगों के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

(C) Major Head "3601"- "Non-Plan Grants" -

(a) "Rehabilitation - Other Rehabilitation Schemes" -

(i) "Tripura" - excess of ₹1435.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards capacity building and tribal development in Tripura.

(ii) "Jammu and Kashmir Relief and Rehabilitation" - excess of ₹3004.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8155.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards clearance of pending claims received from the State Government.

(b) "Rehabilitation - Displaced persons from former East Pakistan - Rehabilitation Grants" - excess of ₹1094.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹506.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards developing of infrastructural facilities for displaced persons in West Bengal.

4. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
मुख्य शीर्ष "4250" अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4250" Capital Outlay on Other Social Services				
मू.	O.	9081.00	9082.00	5282.58	-3799.42
पू.	S.	1.00			

(I) ₹1350.00 लाख का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹1250.00 लाख भूमि के अधिग्रहण को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण अकेले "प्राकृतिक आपदाएं - राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान" के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए: -

(I) Provision of ₹1350.00 lakhs remained wholly unutilized under two heads; of these ₹1250.00 lakhs alone accounted for under "Natural Calamities - National Institute of Disaster Management"- due to non-finalisation of acquisition of land.

(II) "प्राकृतिक आपदाएं" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under "Natural Calamities" - savings occurred under the following heads:-

(का) "आपदा होने पर तीव्रतापूर्वक कार्रवाई करने के लिए विशेषीकृत क्षमता का निर्माण" - ₹1769.59 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा संचार उपस्कर और वाहन आरोपित वीएसएटी की अधिप्राप्ति न किए जाने के कारण हुई।

(A) "Building up specialised capability for rapid intervention in case of disasters" - saving of ₹1769.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs) was due to non-procurement of communication equipment and vehicle mounted Very Small Aperture Terminal by National Informatics Centre.

(खा) "राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल" - ₹679.83 लाख की बचत (मार्च, 2012 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹5232.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मोटर वाहन की खरीद के लिए अनुमोदन प्राप्त न होने और राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के उपस्करों की अधिप्राप्ति का भुगतान रोक लिए जाने के कारण हुई।

(B) "National Disaster Response Force"- saving of ₹679.83 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹5232.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in March, 2012) was due to non-receipt of approval for purchase of Motor Vehicle and withholding of payment towards procurement of Commonwealth Games, 2010 equipments.